

24/11/17

वकील सापलाक को विभागाध्यक्ष के पास
उक्त शासन के निर्देश का कार्यालय विभागाध्यक्ष
शासन की तारीख है। अतः वकील सापलाक को
हुकूम की तारीख कार्यालय निर्देश 28/11/17 को
देना है।

उपस्थान्त अधिकारी
करौली

5712
2078-80
24.11.17

28/11/17

पत्रावली फेस हुई। वकील सापलाक उपस्थित
वकील सापलाक के प्रार्थना पत्र को नोट
प्रैस किया। अतः प्रार्थना पत्र सापलाक को
NOT PRESS के कारिय किया जाता है।
पत्रावली केवल शुक्रा होकर मूलपत्र
के साथ शामिल रहे।

NOT PRESS
Sumit

उपस्थान्त अधिकारी
करौली